कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 259/दो—11—6/08 नर्मदापुरम, दिनांक06.03.2026

श्री रूपेश सोनी, निज सहायक न्यायालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम का दिनांक 23.02.2026 व 24.02.2026 का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर, दिनांक 23.02.2026 से 25.02.2026 तक कुल 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में 297 दिवस का स्वत्व शेष है।

1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।

2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ. क. 1100/दो—11—06/08 नर्मदापुरम, दिनांक06.03.2026

यथाआदेश प्रतिलिपिः—

01 प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्री रूपेश सोनी, निज सहायक को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)